न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या– 35 / 2017

श्रीमती सुप्यार उम्र 55 वर्ष, पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल, जाति मीणा, निवासी नाटास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ
आदेश नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुप्यार
मु.न. 68 / 2017 अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 05.6.2017

उपस्थितः–

1. श्री धीरज कुमार, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– दिनांक–28.06.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2018 मुकदमा नंबर 68 / 2017 बमुकदमा उनवानी सरकार, सुप्यार अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – भूमि वर्तमान खसरा नंबर 14 गत खसरा नंबर 8 रकबा 366 बीघा से बना है। ग्राम नाटास बिसाऊ ठिकाने का गांव था। गांव नाटास में नदी की बहुत सारी जमीन थी। तत्कालीन ठिकाने ने उस वक्त भिन्न भिन्न लोगों को काश्त के लिये भूमि बता रखी थी। ठिकाना नदी भूमि भी काश्त करने के लिये दे सकता था। अपीलर्थिया के ससुर सांवत को ठिकाना ने भूमि खसरा नंबर 8 में से 7 बीघा भूमि काश्त के लिये बता रखी थी। सांवत

के अलावा हनुमान धानका, गुलाब, सांवत, मुखा पुत्र भोलू, गोविन्दराम, घूड़ा, दूला, जतु,गणेश, सूरजा, भूरदास, सांवत, गूंगा, भागला मीणा, सूरजा, भूरदास स्वामी, कुरड़ा, कुम्हार, मनसुख आदि को भूमि काश्त के लिये दे रखी थी। ठिकाना बिसाउ में सर्वप्रथम गिरदावरी सम्वत 2009 में बननी शुरू हुई जिसमें उपरोक्त सभी लोगों का काश्त में लाल स्याही से इन्द्राज किया है। जब काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब ही उपरोक्त लोग उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे, जिसका इन्द्राज सम्वत 2013 की खसरा गिरदावरी में है, और सम्वत 2017, 2019, 2023 में भी उपरोक्त सभी लोगों की काश्त दर्ज है। सम्वत 2023 के बाद में काश्तकारों का काश्त में नाम का इन्द्राज बन्द कर दिया, लेकिन उपरोक्त भूमि लगातार काश्त होती आ रही है। वर्ष 2012 की जमाबंदी में कृषक के कालम में प्रार्थीया के ससुर बतौर टीनेन्ट दर्ज है। उक्त भूमि काश्तकारी अधि0 लागू होने के बहुत पूर्व सही काश्त होती आ रही है। भूमि की किस्म गैर मु0 नदी दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से अपीलार्थी के अलावा करीब 20 परिवार भूमि अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे हैं। अदालत मातहत ने केवल अपीलार्थी के मकान से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली का अदेश किया है। अदालत मातहत ने पटवारी की रिपोर्ट मात्र को अधार मानकर आदेश पारित किया किया है, जो राजस्व रिकार्ड के विपरित है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 05.6.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – भूमि वर्तमान खसरा नंबर 14 गत खसरा नंबर 8 रकबा 366 बीघा से बना है। ग्राम नाटास बिसाऊ ठिकाने का गांव था। गांव नाटास में नदी की बहुत सारी जमीन थी। तत्कालीन ठिकाने ने उस वक्त भिन्न भिन्न लोगों को काश्त के लिये भूमि बता रखी थी। ठिकाना नदी भूमि भी काश्त करने के लिये दे सकता था। अपीलर्थिया के ससुर सांवत को ठिकाना ने भूमि खसरा नंबर 8 में से 7 बीघा भूमि काश्त के लिये बता रखी थी। सांवत के अलावा हनुमान धानका, गुलाब, सांवत, मुखा

पुत्र भोलू, गोविन्दराम, घूड़ा, दूला, जतु,गणेश, सूरजा, भूरदास, सांवत, गूंगा, भागला मीणा, सूरजा, भूरदास स्वामी, कुरड़ा, कुम्हार, मनसुख आदि को भूमि काश्त के लिये दे रखी थी। ठिकाना बिसाउ में सर्वप्रथम गिरदावरी सम्वत 2009 में बननी शुरू हुई जिसमें उपरोक्त सभी लोगों का काश्त में लाल स्याही से इन्द्राज किया है। जब काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब ही उपरोक्त लोग उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे, जिसका इन्द्राज सम्वत 2013 की खसरा गिरदावरी में है, और सम्वत 2017, 2019, 2023 में भी उपरोक्त सभी लोगों की काश्त दर्ज है। सम्वत 2023 के बाद में काश्तकारों का काश्त में नाम का इन्द्राज बन्द कर दिया, लेकिन उपरोक्त भूमि लगातार काश्त होती आ रही है। वर्ष 2012 की जमाबंदी में कृषक के कालम में प्रार्थीया के ससुर बतौर टीनेन्ट दर्ज है। उक्त भूमि काश्तकारी अधि0 लागू होने के बहुत पूर्व सही काश्त होती आ रही है। भूमि की किस्म गैर मु0 नदी दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से अपीलार्थी के अलावा करीब 20 परिवार भूमि अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे हैं। अदालत मातहत ने केवल अपीलार्थी के मकान से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली का अदेश किया है। अदालत मातहत ने पटवारी की रिपोर्ट मात्र को अधार मानकर आदेश पारित किया किया है, जो राजस्व रिकार्ड के विपरित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि जो गैर मु0 नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी नाटास की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 1.32 हैक्टर जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 नदी दर्ज है जिसमें रकबा 0.0400 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा पक्के मकान व बाड़ इत्यादि लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण करना बताया गया है। अपीलांट का कथन है कि उपरोक्त भूमि में से अपीलार्थी के अलावा करीब 20 परिवार भूमि अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे हैं। अदालत मातहत ने केवल अपीलार्थी के मकान से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश किया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की किस्म गै0मु0नदी होने कारण अगर अपीलांट के पुराने कब्जे पर भी विश्वास किया जाये तो भी माननीय उच्च न्यायालयों

एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निणर्यों के मध्यनजर अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 नदी दर्ज से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2017 मु0नं0 68/2017 सरकार बनाम सुप्यार यथावत रखा जाता है, साथ ही तहसीलदार उदयपुरवाटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के कथनानुसार "उपरोक्त भूमि में से अपीलांट के अलावा करीब 20 परिवार ओर भूमि को काश्त करते आ रहे हैं," अतः इसकी अविलंब जांच करवाकर सभी अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू